कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.11.2024

विषय:- नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त विकास राजभर थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-266/2024 धारा-363/366/504/506/120बी/368 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास राजभर पुत्र स्व0 लालमणि राजभर निवासी आशापुर चौहान बस्ती थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को आज दिनांक-14.11.24 को समय करीब 11.45 बजे हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-17.06.2024 को वादिनी मुकदमा(पीड़िता/अपहृता की माता) ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को विपक्षीगण द्वारा कहीं लेकर चले जाने तथा पूछताछ करने पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रा.पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ मे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. अरविन्द यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास राजभर पुत्र स्व0 लालमणि राजभर निवासी आशापुर चौहान बस्ती थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से, दिनांक-14.11.24 को समय करीब 11.45 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-266/2024 धारा-363/366/504/506/120बी भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 368 भादवि थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, हे.का.विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।